भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2944
उत्तर देने की तारीख 06 अगस्त, 2025

वोडाफोन में इक्विटी शेयर

2944. श्री माथेश्वरन वी. एस.:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आज की तिथि के अनुसार वोडाफोन में सरकार द्वारा धारित इक्विटी शेयर कितना प्रतिशत है;
(ख) दूरसंचार कंपनियों के विरुद्ध लंबित ब्याज सहित एजीई बकाया का दूरसंचार कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार द्वारा दूरसंचार कंपनियों के विरुद्ध कोई सख्त कदम नहीं उठाये जा रहे हैं, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और
(घ) वोडाफोन जैसी घाटे में चल रही कंपनी के इक्विटी शेयर खरीदने के पीछे सरकार का औचित्य क्या है?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) वर्तमान में सरकार के पास वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (वीआईएल) के 49 प्रतिशत इक्विटी शेयर हैं।

(ख) और (ग) लाइसेंस करार के निबंधन और शर्तों के तहत 'एजीई बकाया' का कोई भुगतान दायित्व मौजूद नहीं है। तथापि, लाइसेंस शुल्क (एलएफ) और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (एसयूसी) लाइसेंसधारकों द्वारा उनके समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के आधार पर देय हैं। बकाया लंबित होने के कारणों के साथ-साथ प्रमुख दूरसंचार कंपनियों के ब्याज सहित लंबित एजीआर बकाया का विवरण अनुबंध **I** में दिया गया है।

(घ) दूरसंचार क्षेत्र में वित्तीय संकट के समाधान हेतु, सरकार ने सितंबर, 2021 में कई संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक सुधार शुरू किए, जिनका उद्देश्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, उपभोक्ता हितों की रक्षा करना, नकद निवेश को बढ़ावा देना, निवेश को प्रोत्साहित करना और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) पर विनियामक भार को कम करना है। इनमें माननीय उच्चतम न्यायालय के एजीआर निर्णय और वर्ष 2021 से पहले आयोजित नीलामियों में खरीदे गए स्पेक्ट्रम से उत्पन्न बकाया राशि के वार्षिक भुगतान में चार वर्ष तक का मोरेटोरियम शामिल था। टीएसपी को इक्विटी के माध्यम से भुगतान के उक्त आस्थगन के कारण उत्पन्न ब्याज राशि का भुगतान करने का विकल्प भी दिया गया था। इसके अतिरिक्त, सरकार के विकल्प पर और मौजूदा स्थिति के आधार पर, मोरेटोरियम के बाद की किश्तों की बकाया राशि को इक्विटी में परिवर्तित किया जा सकता है।

इन सुधारों के अनुसरण में, कई टीएसपी ने दिशा-निर्देशों के तहत अनुमत मोरेटोरियम सुविधाओं का लाभ उठाया। वीआईएल ने मोरेटोरियम अवधि के लिए ब्याज के भुगतान को इक्विटी के माध्यम से ₹16,133.1 करोड़ में परिवर्तित करने के विकल्प का भी चयन किया। कम्पनी ने भारत सरकार को फरवरी, 2023 में 1613.31 करोड़ शेयर जारी किए। सरकार ने दिनांक 29 मार्च, 2025 को दूरसंचार सुधार, 2021 की तर्ज पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 62 (4) के तहत 36,950 करोड़ रुपये की बकाया स्पेक्ट्रम नीलामी राशि को इक्विटी में परिवर्तित करने के लिए वीआईएल के अनुरोध के लिए अनुमोदन दिया। तत्पश्चात, कंपनी ने अप्रैल, 2025 में सरकार को 3,695 करोड़ इक्विटी शेयर जारी किए।

अनुबंध **I**

दिनांक 06.08.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2944 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

दिनांक 31.03.2025 तक अद्यतित ब्याज सहित प्रमुख दूरसंचार कंपनियों के एजीआर बकाया का विवरण

(राशि करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	कंपनी का नाम	वित्त वर्ष 2023-24 तक एजीआर बकाया	टिप्पणियां
1	भारती ग्रुप (एयरटेल और हेक्साकॉम)	48103	एजीआर निर्णय से उत्पन्न बकाया राशि और वित्त वर्ष 2018-19 तक की अवधि से संबंधित बकाया राशि के वार्षिक भुगतान पर चार वर्ष का मोरेटोरियम दिया गया है। लंबित बकाया राशि का भुगतान, मोरेटोरियम के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार, कंपनियों द्वारा चुने गए विकल्प के आधार पर छह वार्षिक किश्तों में किया जाना है। वित्त वर्ष 2019-20 के बाद से लंबित बकाया राशि विवाद/वाद के अधीन है।
2	टाटा ग्रुप (टीटीएसएल और टीटीएमएल)	19259	
3	वोडाफोन आइडिया लिमिटेड	84933	
4	रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड	1746	वाद के अधीन
5	बीएसएनएल	4	मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 तक एजीआर बकाया का निपटान इक्विटी कन्वर्जन के माध्यम से किया जाएगा।
6	एमटीएनएल	12780	केंद्रीय मंत्रिमंडल के जुलाई, 2022 में लिए गए निर्णय के अनुसार आगे की कार्रवाई के लिए एजीआर बकाया की जांच सचिव समिति द्वारा की जाएगी।
	कुल	166825	

नोट:

1. एजीआर बकाया में लाइसेंस शुल्क (एलएफ) और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (एसयूसी) शामिल हैं।
2. तालिका में दर्शाए गए बकाया प्रमुख दूरसंचार कंपनियों से संबंधित हैं, जिनमें वे कंपनियां शामिल नहीं हैं जो दिवालियेपन या परिसमापन (लिक्विडेशन) कार्यवाही का सामना कर हैं।
3. एजीआर मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 01.09.2020 के निर्णय में उल्लिखित बकाया को छोड़कर, अन्य बकाया टीएसपी, विभागीय आकलन, सीएजी/विशेष लेखा परीक्षा, अदालती मामलों आदि के अभ्यावेदनों के आधार पर संशोधन के अधीन हैं।

*****